



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

शाखा -कोरबा (छ.ग.)

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अग्रिम धरोहर राशि व प्रपत्र जमा करने

की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 19/12/2019 सायं.04.00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि: 21/12/2019 समय-(11.30AM से 12.30 PM तक)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2000 का अधि. क्र. 54) तथा उसके अधीन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार बैंक के पक्ष मे बंधक संपत्ति/यों की “जहाँ है, जैसी है” तथा “बिना किसी शिकायत” के आधार पर वेबसाईट <https://centralbank.auctiontiger.net> आधारित ई-नीलामी निर्धारित की जाती है।

लॉट क्र.	ऋणी का नाम एवं प्रतिभू का नाम	संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) डिमाण्ड नोटिस (दि. 09.08.2018) के अनुसार कुल बकाया राशि	प्रारक्षित मूल्य	अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि	बिड बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	ऋणी — श्रीमती- नदिनी पांडे, प्रतिभू- सुरेन्द्र पांडे, उरगा, कोरबा जिला- कोरबा (छ.ग.)	<b>अचल सम्पत्ति</b> खसरा नं.117 /12(रकबा- 0.18 <sup>1/2</sup> ) - व 953/2,(रकबा-0.07एकड) कुल रकबा-0.25 <sup>1/2</sup> एकड (0.103हेक्टे.),प.ह.न.- 07, स्थित- मौजा-उरगा तह. एवं जिला- कोरबा(छ.ग.) स्वामित्व- श्री-नन्दिनी पांडे चौहदी- : उ.अन्य की भूमि , द.विक्रेता की भूमि, पू.चम्पा रोड एवं नव रत्न की भूमि, प.चरन दास की भूमि ।	राशि-रु. 10,36,135 + ब्याज+ अन्य व्यय	रु.79.72 लाख	10% प्रतिशत प्रारक्षित राशि का	10,000	21 दिसम्बर 2019 समय – प्रातः 11.30 बजे से 12.30 PM तक यदि कोई बोली ई- नीलामी का समयाव धि पूर्ण होने के अंतिम 5 मिनट मे आती है तो ई-नीलामी का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जावेगा (ई- नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने तक असिमित अवधि के लिये)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

अधिक जानकारी तथा अन्य नियम व शर्तों के लिए सम्पर्क करें-श्री-ललित नायक, प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 'kk[kk & कोरबा(छ.ग.) ] मो. न.7509062658

दिनांक -14.11.2019

प्राधिकृत अधिकारी

mijksDr प्रकरणों में जारी ई-नीलामी सूचना दिनांक 11.11.2019 के संबंध में अधिक विवरण तथा नियम व शर्तें fufEefyf[kr gSa (नियत ई-नीलामी दि. 21.12.2019) -

1. ई-नीलामी "जहाँ है, जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जावेगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के अधिकतम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। यद्यपि इच्छुक निविदाकर्ता बिड भरने के पूर्व संपत्ति पर प्रभार, नीलामी हेतु प्रस्तुत संपत्ति का स्वामित्व तथा दावों/ अधिकार/ देनदारियाँ आदि विषय में स्वतंत्र जाँच करे। ई-नीलामी नोटिस बैंक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिबद्धता अथवा अभिवेदन नियत नहीं करता है। संपत्ति वर्तमान भार या भविष्य के किसी प्रभार जो बैंक के जानकारी में हो अथवा नहीं, के सहित नीलाम की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी प्रकार से तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / देनदारियों के लिये उत्तरदायी नहीं रहेंगे।
3. यह निविदाकर्ता के जिम्मेदारी है कि वह निविदा के पूर्व संपत्ति व उसके विनिर्देशन का स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेवे। इच्छुक निविदाकर्ताओं को नीलामी हेतु प्रस्तुत संपत्ति का निरीक्षण संबंधित स्थल पर इस प्रकाशन की तिथि से निविदा प्रपत्र व अग्रिम धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रातः 10.00 बजे से सायं. 04.00 बजे तक अनुमत किया जावेगा।
4. इच्छुक निविदाकर्ता के पास वैध ई-मेल एवं पैन नंबर होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), ए – 801/802, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद-380 006 से प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क: दूरभाष - 09978434773, 07030464421 ई-मेल-E-Mail ID: [chhattisgarh@auctiontiger.net](mailto:chhattisgarh@auctiontiger.net) & [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net).
5. इच्छुक निविदाकार को अग्रिम धरोहर जमा राशि वेब पोर्टल <https://centralbank.auctiontiger.net> (यूजर आईडी एवं पासवर्ड वेबसाइट पर अपना नाम पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉग इन व पासवर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अग्रिम धरोहर जमा राशि (प्रारक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) NEFT/RTGS के द्वारा खाता क्र. 3663154637 खाते का नाम- प्राधिकृत अधिकारी, ई-नीलामी, हिताधिकारी बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा- रायगढ़, IFSC कोड-CBINO280799 में जमा करनी होगी। कृपया नोट करें कि अग्रिम धरोहर जमा राशि हेतु चेक / डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. वेब पोर्टल पर निविदाकार के पंजीकरण पश्चात इच्छुक निविदाकार/क्रेता को निम्नवत दस्तावेज बिड की अंतिम तिथि के पूर्व वेब पोर्टल पर अपलोड कराना आवश्यक होगा। जैसे-i) NEFT/RTGS चालान प्रति ii) पैन कार्ड प्रति iii) पहचान प्रमाणपत्र जैसे- स्व-सत्यापित वोटर पहचान पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/ आधार आदि, iv) निवास प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बिड निरस्त की जा सकती है।
7. इच्छुक निविदाकार ई-नीलामी का ऑन-लाईन प्रशिक्षण मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), ए – 801/802, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद-380006 से प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष-09978434773, 07030464421, ई-मेल-E Mail ID: [chhattisgarh@auctiontiger.net](mailto:chhattisgarh@auctiontiger.net) & [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net). तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी जानकारी के लिये श्री.अमित चौरसिया [eq\[; izca/kd](mailto:eq[; izca/kd)] मोबा.-7509062658 ई-मेल-[bmraip1368@centralbank.co.in](mailto:bmraip1368@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। ई-नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक तथा धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टिकृत निविदाकर्ता ही भाग ले सकेगे।

8. जिस इच्छुक निविदाकार द्वारा अग्रिम धरोहर जमा राशि ऑन-लाईन माध्यम से दि. 19.12.2019 सायं.4.00 बजे तक जमा की गई हो, वह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होगा। उक्त संपत्ति की ई-नीलामी उनके सम्मुख दर्शाये गयी तिथि एवं समय पर निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली अनुसार की जावेगी। निविदाकर्ता अपनी बोली "बिड वृद्धि राशि" कंडिका में संबंधित संपत्ति के सम्मुख दर्शायी गयी राशि के गुणन में वृद्धि कर सकता है। यदि कोई बोली ई-नीलामी का समयावधि पूर्ण होने के अंतिम 5 मिनट में आती है तो ई-नीलामी का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जावेगा (ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने तक असिमित अवधि के लिये)। ई-नीलामी के समापन पर उच्चतम बोली (प्रारक्षित मूल्य से कम नहीं) लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा, जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जावेगी।

9. सफल बोलीकर्ता की अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) विक्रय प्रतिफल के अंश के रूप में प्रतिधारित की जावेगी तथा असफल बोलीकर्ताओं को ईएमडी राशि वापिस की जावेगी। अग्रिम धरोहर जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत, अग्रिम धरोहर जमा राशि समायोजित करते हुए तुरंत जमा कराना होगा तथा विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन या उसके अन्दर य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल उनके विवेक अनुसार सहमति के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के अन्दर जमा कराना होगा। सफल बोलीकर्ता भुगतान करने में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी तथा संपत्ति पुनः नीलाम की जावेगी तथा चूककर्ता ऋणी का कोई दावा/अधिकार उक्त संपत्ति /राशि पर नहीं होगा।

10. इच्छुक निविदाकार ई-नीलामी तिथि के पूर्व ई-नीलामी का ऑन-लाईन प्रशिक्षण में ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), ए – 801/802, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद -380 006 से प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष - 09978434773, 07030464421, ई-मेल-E-Mail ID: [chhattisgarh@auctiontiger.net](mailto:chhattisgarh@auctiontiger.net) & [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net) प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक अथवा मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), किसी भी इंटरनेट शिकायत विफलता के लिये जिम्मेदार नहीं होगा तथा इच्छुक बोलीकर्ता ई-नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु स्वयं अपने स्तर पर तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करे।

11. स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण व्यय, फीस आदि तथा किसी को देय सभी वैधानिक / वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस आदि क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा।

12. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा तथा वह किसी एक या सभी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी स्थगित करने /आगे बढ़ाने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बिड जमा करने तथा ई-नीलामी में सम्मिलित होने के पूर्व मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल)के वेब पोर्टल <http://centralbank.auctiontiger.net> पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन कर ले।

दिनांक- 14.11.2019

स्थान- कोरबा

प्राधिकृत अधिकारी  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

#### सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों की वैधानिक सूचना

ऋणकर्ता/गारंटर को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि का अद्यतन ब्याज व अनुषंगी व्यय सहित भुगतानकरें अन्यथा संपत्ति की नीलामी विक्रय की जावेगी एवं शेष राशि, यदि कोई हो तो, ब्याज एवं व्यय के साथ वसूल की जावेगी।